Agitation of Advocates Bar Association of Allahabad High Court

5085. SHRI RAMNATH DUBEY: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the whole of Advocates Bar Association boycotted Allahabad High Court and launched an agitation;

(b) whether the situation in Allahabad High Court had so deteriorated as had warranted closure of the court even before commencement of summer vacations and position is still not normal; and

(c) whether all the advocates of Allahabad High Court are still boycotting the court and are on strike; if so, the action being taken by Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) According to reports and representations received by Government the Advocates of the Allahabad High Court were on strike from 7th to 19th May, 1980. The State Government have informed us that this boycoott was only by a section of the Bar.

(b) and (c) According to information received from the State Government, the High Court was closed after the incidents of 7th May, 1980 for two days, that is 8th and 9th May, 1980. The following two days, that is 10th and 11th were holidays. From 12th May, 1980 the High Court closed for its summer vacation. According to the Report received from the Registrar, the High Court is functioning normally since its re-opening on 30th June, 1980.

सोडा-एश और कास्टिक-सोडा के मूल्यों में वृद्धि

5086. **श्री हरिकेश बहादुर:**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्मोरी:

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनियों ने सोडा-एश के 1978 के 950 रुपये प्रतिटन के मूल्यों को बढ़ा कर 1980 में 2100 रुपये तथा 1978 के कास्टिक सोडा के 2000 रु. के मूल्यों को बढ़ा कर 1980 में 4000 रुपये कर दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उस की मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सोडा एश 3000 रुपये प्रति टन और कास्टिक सोडा 6500 रुपये प्रति टन की दर से खुले रूप में काले बाजार में बेचा जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों की व्यापारिक संस्थाओं को 1800 रुपये प्रति टन की दर से आवंटित सोडा-एश सप्लाई किया है और वे संस्थाएं इसे 3000 रुपये प्रति टन की दर से बेचती हैं;और

(घ) क्या सरकार को त्रिपाठी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) निर्माताओं का सोडा एश का कारखाने से बाहर का मूल्य, जो जनवरी, 1978 में 825 रु. से 977 रु प्रति टन था अब वह 1 जुलाई, 1980 को 1280 रु. से 1850 रु. प्रति टन तक बढ़ गया है। इसी प्रकार निर्माताओं का कास्टिक सोडा का कारखाने से बाहर का अधिकतम बिक्री मूल्य, जो मार्च, 1978 में कास्टिक सोडा की विभिन्न किस्मों के लिये 1790 रु. से 2190 रु. प्रतिटन तक था, वह अब सितम्बर, 1979 से 2580 रु. से 3180 रु. तक बढ़ गया है।

सोड़ा एश और कास्टिक सोडा के मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अत: सरकार द्वारा उनके मूल्यों की मंजूरी दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) आम तौर पर 85 प्रतिशत सोडा एश और 90 प्रतिशत कास्टिक सोडा वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्माताओं के मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा है। शेष मात्रा को व्यापारियों द्वारा खुले बाजार में बेचा जा रहा है। इन दो रसायनों की वर्तमान